भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1602
बुधवार, 15 मार्च, 2023 (24 फाल्गुन, 1944 (शक)) को उत्तरार्थ

कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियाँ

1602. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश भर में कृषि क्षेत्र में कितनी कार्यरत सहकारी समितियां कार्यरत हैं, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सहकारी समितियों द्वारा फलों और सब्जियों की कुल खरीद में से कितना प्रतिशत सीधे किसानों से खरीदा जाता है, तत्संबंधी हरियाणा सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का कृषि आधारित सहकारी समितियों के लिए नीति बनाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): कृषि क्षेत्र में 1,00,428 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS)/लार्ज एरिया मल्टी-पर्पज़ समितियां (LAMPS)/किसान सेवा समितियां (FSS) तथा 619 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB) व प्राथमिक सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) हैं । सहकारी समितियों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** पर संलग्न है ।

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना साकार करने, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करने, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने में सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में, हितधारकों के साथ पूर्व में परामर्श किए गए थे और नई नीति के निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संस्थानों के साथ-साथ आम जनता से भी सुझाव मांगे गए थे । दिनांक 2 सितम्बर, 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) व सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है जो नई नीति के प्रारूप को बनाने के लिए समेकित फीडबैक, सुझावों व सिफारिशों का विश्लेषण करेंगे ।

कृषि आधारित सहकारी समितियों सहित विभिन्न सेक्टरों में सहकारी परितंत्र को सशक्त करने व उनके संवर्धन के लिए सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के पश्चात् अनेक पहल किए हैं जो निम्नानुसार हैं: -

1. पैक्स का कंप्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां: पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों के प्रापण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स: पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC-SPV के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ।

4. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश के सभी सेक्टरों की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा है ।

5. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना अनुमोदित की गई है ।

6. राष्ट्रीय सहकारी नीति: सक्षम परितंत्र सृजित करके ना को की परिकल्प 'सहकार से समृद्धि' साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व र की समिति का गठन किया गया ।य स्तहितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्री

7. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन: सत्तानवे संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'यंशक्ति सहकारस्व'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए और मात्स्यिकी के 'डेयरी सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 'नील सहकार' लिए2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

9. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

10. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर के रूप में शामिल 'क्रेता': जेम पर सहकारी समितियों को के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और 'क्रेता' पारदर्शिता के साथ वे लगभग40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

11. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

12. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

14. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

15. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

16. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

17. सहकारी चीनी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

18. सहकारी चीनी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

21. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगा ।

सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए प्रशासनिक, विधिक व नीतिगत संरचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । तथापि, सहकारी समितियों द्वारा सब्जी या फल या किसी भी प्रकार की कृषि उपज की खरीद से संबंधित जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

******

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	PACS/ LAMPS/FSS की संख्या	SCARDBs और PCARDB
	राज्य		
1	आंध्र प्रदेश	2,042	-
2	अरुणाचल प्रदेश	34	-
3	असम	809	-
4	बिहार	8,481	-
5	छत्तीसगढ़	2,058	-
6	गोवा	93	-
7	गुजरात	10,263	1
8	हरियाणा	772	20
9	हिमाचल प्रदेश	2,198	2
10	झारखंड	4,293	-
11	कर्नाटक	6,040	182
12	केरल	1,682	77
13	मध्य प्रदेश	4,541	-
14	महाराष्ट्र	20,962	-
15	मणिपुर	250	-
16	मेघालय	516	-
17	मिजोरम	84	-
18	नागालैंड	1,166	-
19	ओडिशा	2,709	-
20	पंजाब	3,951	90
21	राजस्थान	7,442	37
22	सिक्किम	178	-
23	तमिल नाडु	4,489	181
24	तेलंगाना	909	-
25	त्रिपुरा	292	1
26	उत्तर प्रदेश	7,478	1
27	उत्तराखंड	671	-
28	पश्चिम बंगाल	5,144	25
	संघ राज्यक्षेत्र		
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	-
2	जम्मू और कश्मीर	597	1
3	लद्दाख़	158	-
4	पुड्डुचेरी	56	1
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7	-
6	चंडीगढ़	17	-
7	दिल्ली	-	-
8	लक्षद्वीप	-	-
	कुल	**1,00,428**	**619**

*****